



पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम. चाईबासा का कार्यालय।
(राजस्व शाखा)

(अनापत्ति प्रमाण पत्र)

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के पत्रांक- 686 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा सोनुआ-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए सोनुआ एवं गुदडी अंचलान्तर्गत कुल 2.16 हेक्टर गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, गुदडी के पत्रांक-71 दिनांक 04.09.2020 एवं अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक-290 दिनांक- 04.09.2020 के द्वारा समर्पित भूमि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। भूमि सत्यापन सबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गुदडी अंचलान्तर्गत प्लॉट नं० 468/अश किरम जमीन डुंगरी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक-864 दिनांक-11.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है।

अतः उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक- 1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के आलोक में सोनुआ-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु किरम जमीन डुंगरी को छोड़कर निम्नांकित गैरमजरूआ भूमि Deemed forest (जंगल-झाड़ी) का सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है -

क्र०	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हे० में)	किस्म जमीन
1		2	3	4	5	6	7
1		सोनुआ	पनसुवा	542	625 638 कुल रकबा	0.23 0.28 0.51 हे०	जंगल-डुंगरी जंगल-झाड़ी
2	पश्चिमी सिंहभूम	गुदडी	लोढ़ाई	181	कुटिपी संदया 214 218 236 241 819 824 678 800	0.03 0.01 0.13 0.02 0.09 0.39 0.02 0.02 0.03 0.01	जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी
			जाते	182	1 684 686 688 964 कुल रकबा	0.33 0.02 0.01 0.01 0.45 1.57 हे०	जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी जंगल-झाड़ी
				समेकित कुल रकबा		2.08 हे०	

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार सन्निहित भूमि गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल-झाड़ी) है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

प्रधान सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
तं०
15 SEP 2020
आरखण्ड, राँची

पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लिया जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल-झाड़ी) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

६०)-

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापक- 1105(B)/रग दिनांक- 11-09-2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अचल अधिकारी, सोनुआ/गुदडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, पोडाहाट-चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोडाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, राजस्व, निवधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-17/2020- 3313 व०प०, राँची, दिनांक- 22/10/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:- सोनुवा-पनसुवा-लाढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.37 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-844 दिनांक-12.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

1. प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई का राजस्व पदाधिकारी द्वारा Authenticated land schedule.
2. जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक-1105(B)/रा० दिनांक-11.09.2020 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन करते हुए प्रस्ताव के पार्ट-I, II, III एवं IV की प्रति।

3. CWLW, झारखण्ड का मंतव्य।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वनभूमि-17/2020- 3313 व०प०, राँची, दिनांक- 22/10/2020

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम-833104 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी